

फर्द अहकाम

(नियम 25)

न्यायालय सहायक कलक्टर बापिणी कैम्प ग्रामीण सेवा शिविर-2025
चुतर सिंह बनाम तहसीलदार बापिणी

मुकदमा 136 एल.आर.एल. एक्ट

नम्बर :-.....

तारीख	हुक्म या कार्यवाही	वि.वि.
	<p>प्रार्थी चुतर सिंह पुत्र गुमान सिंह निवासी कड़वा आज ग्रामीण सेवा शिविर अभियान-2025 कैम्प मतोड़ा ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम कड़वा के खाता संख्या 102 एवं 425 रकबा 18.6317 एवं 11.2907 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम छतरसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपुत दर्ज है जो अशुद्ध है।</p> <p>प्रार्थी का शुद्ध नाम चुतर सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति राजपुत है। साक्ष्य के तौर पर प्रार्थी द्वारा परिवार आधार कार्ड नम्बर 9963 8805 1766 एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम चुतर सिंह पुत्र गुमान सिंह दर्ज है जो शुद्ध है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी बेदु भू.अ.नि. मतोड़ा एवं तहसीलदार बापिणी से रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट में इन्होंने प्रार्थी का चुतर सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति राजपुत शुद्ध करने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कड़वा के खाता संख्या 102 एवं 425 में प्रार्थी का नाम चुतर सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति राजपुत राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	